

अनुबंध IV

समेकित वित्तीय विवरणों का प्रारूप

समेकित तुलन पत्र का प्रारूप

की समेकित बैलेंस शीट

(यहां मूल बैंक का नाम दर्ज करें)

31 मार्च (वर्ष) को बैलेंस शीट

विवरण	अनुसूची	(राशि ₹ करोड़ में)	
		31-3- ---- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3- ---- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
अल्पसंख्यक कल्याण	2A		
जमा राशियाँ	3		
उधार	4		
अन्य देनदारियों तथा प्रावधान	5		
जोड़			
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर आस्तियाँ	10		
अन्य आस्तियाँ	11		
समेकन पर गुडविल			
जोड़			
समाश्रित दायित्व	12		
संग्रह के लिए बिल			

**समेकित लाभ और हानि खाते का प्रारूप**

\_\_\_\_\_ का समेकित लाभ और हानि खाता

(यहां मूल बैंक का नाम दर्ज करें)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता \_\_\_

(राशि ₹ करोड़ में)			
विवरण	अनुसूची	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
<b>I. आय</b>			
अर्जित ब्याज	13		
अन्य आय	14		
जोड़			
<b>II. व्यय</b>			
व्यय किया गया ब्याज	15		
प्रचालन व्यय	16		
उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
<b>कुल</b>			
एसोसिएट्स में कमाई/हानि का हिस्सा			
अल्पसंख्यकों का ब्याज काटने से पहले के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)			
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित			
समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)			
जोड़ें: समूह के कारण समेकित लाभ/(हानि) को आगे लाया			
<b>III. विनियोग</b>			
वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
अन्य रिज़र्व में अंतरण			
सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
अतिशेष जो तुलन पत्र में आगे लाया गया हैं			
जोड़			
<b>प्रति शेयर आय<sup>1</sup></b>			

1. प्रति शेयर कमाई मूल और डाइल्यूट दोनों के लिए होगी।

अनुसूची 1 - पूंजी		
विवरण	31-3----- - की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
प्राधिकृत पूंजी		
(____ रूपये प्रति शेयर वाले __ शेयर)		
जारी पूंजी		
(____ रूपये प्रति शेयर वाले __ शेयर)		
अभिदत्त पूंजी		
(____ रू. के __ शेयर)		
<b>जोड़</b>		

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष <sup>1</sup>		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
कानूनी आरक्षितिया		
पूंजी आरक्षितिया		
समेकन पर आरक्षित पूंजी <sup>2</sup>		
शेयर प्रीमियम		
अन्य आरक्षित (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
राजस्व और अन्य आरक्षितिया		
लाभ और हानि खाते का अधिशेष <sup>3</sup>		
<b>जोड़</b>		

1. अंतिम समेकित तुलन पत्र के बाद से आरंभिक शेष, परिवर्धन और कटौतियां प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई जाएंगी।

2. जहां एक से अधिक अनुषंगी हैं और कुछ मामलों में समेकन के परिणाम सद्भावना और अन्य मामलों में पूंजी आरक्षित हैं, अलग-अलग नोट देने के बाद अनुसूची 2 या आस्ति पक्ष में निवल प्रभाव दिखाया जाएगा।

3. हानि के मामले में शेष राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा।

अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
माता-पिता-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि पर अल्पसंख्यक हित		
बाद में वृद्धि / कमी		
बैलेंस शीट की तारीख पर अल्पसंख्यक ब्याज		

अनुसूची 3 - जमा राशियाँ		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए. I. मांग निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) दूसरों से		
II. बचत बैंक निक्षेप		
III. मियादी निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) दूसरों से		
<b>जोड़ (I, II और III)</b>		
बी. (i) भारत में शाखाओं के निक्षेप <sup>1</sup>		
(ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप <sup>2</sup>		
<b>जोड़ (i और ii)</b>		

1. सहायक कंपनियों की भारतीय शाखाओं की जमा राशि शामिल है  
2. सहायक कंपनियों की विदेशी शाखाओं की जमा राशि शामिल है

अनुसूची 4 - उधार		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक		
(ii) अन्य बैंक		
(iii) अन्य संस्थान व अभिकरण		
II. भारत के बाहर उधार		
<b>जोड़ (I और II)</b>		
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार -- रूपये		

अनुसूची 5 - अन्य देनदारियों तथा प्रावधान		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. देय बिल		
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
III. अर्जित ब्याज		
IV. विलंबित कर उत्तरदायित्व		
V. अन्य (प्रावधानों सहित)		
<b>जोड़</b>		

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. हाथ में नकद (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य खातों में		
<b>जोड़ (I और II)</b>		

अनुसूची 7 - बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में		
(i) बैंकों में अतिशेष		
(ए) चालू खातों में		
(बी) अन्य जमा खातों में		
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
(ए) बैंकों के साथ		
(बी) अन्य संस्थानों के साथ		
<b>जोड़ (i और ii)</b>		
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य जमा खातों में		
(iii) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा		
<b>जोड़ (i, ii और iii)</b>		
<b>जोड़ योग (I और II)</b>		

अनुसूची 8 - विनिधान		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र		
(v) एसोसिएट्स		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
<b>जोड़</b>		
II. भारत के बाहर विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		
(ii) एसोसिएट्स		
(iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
<b>जोड़</b>		
<b>जोड़ योग (I और II)</b>		

III. भारत में विनिधान		
(i) विनिधानका सकल मूल्य		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधानों का योग		
(iii) निवल निवेश		
IV. भारत के बाहर विनिधान		
(i) विनिधान का सकल मूल्य		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधानों का योग		
(iii) निवल निवेश		

<b>अनुसूची 9 - अग्रिम</b>		
<b>विवरण</b>	<b>31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)</b>	<b>31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)</b>
ए. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और ऋण मांग पर चुकाने योग्य		
<b>जोड़ (i, ii और iii)</b>		
बी. (i) मूर्त आस्ति द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋणों के खिलाफ अग्रिम शामिल है)		
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया		
(iii) असुरक्षित		
<b>जोड़ (i, ii और iii)</b>		
सी. आई. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र		
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र		
(iii) बैंक		
(iv) अन्य		
<b>जोड़ (I, ii, iii और iv)</b>		
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय		
(ii) दूसरों के कारण		
(ए) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
(सी) अन्य		
<b>जोड़ (i और ii)</b>		
<b>सकल जोड़ (सी. I. और सी. II.)</b>		

अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियां		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. परिसर		
पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यहास		
I)ए निर्माणाधीन परिसर		
II. अन्य अचल आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यहास		
II)ए पट्टे पर दी गई आस्ति		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर		
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन		
प्रावधानों सहित वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यहास		
<b>जोड़ (I, IA, II और IIA)</b>		
III. पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (पट्टे पर आस्तियों सहित) प्रावधानों का निवल		
<b>जोड़ (I, IA, II, IIA और III)</b>		

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II. अर्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से सदेत/स्रोत पर कर कटौती		
IV. लेखन सामग्री और स्टैप		
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI. आस्थगित कर आस्तियां		
VII. अन्य		
<b>जोड़</b>		



अनुसूची 12 - समाश्रित दायित्व		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।		
II. आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
V. प्रति-ग्रहण पृष्ठकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
<b>जोड़</b>		

अनुसूची 13 - संग्रहण के लिए बिल		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट		
II. निवेश पर आय (लाभांश सहित)		
III. भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अंतर-बैंक निधियों के साथ शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य		
<b>जोड़</b>		

अनुसूची 14 - अन्य आय		
विवरण	31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ कम: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		
III. विनिमय लेनदेन पर लाभ कम: विनिमय लेनदेन पर हानि		
IV. निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) कम: निवेश की बिक्री पर हानि		
V. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कम: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		
VI. क) लीज वित्त आय बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क ग) अतिदेय शुल्क		

डी) लीज रेंट प्राप्य पर ब्याज		
VII. विविध आय		
<b>जोड़</b>		

<b>अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज</b>		
<b>विवरण</b>	<b>31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)</b>	<b>31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)</b>
I. निक्षेपों पर ब्याज		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार पर ब्याज		
III. अन्य		
<b>जोड़</b>		

<b>अनुसूची 16 - परिचालन व्यय</b>		
<b>विवरण</b>	<b>31-3----- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)</b>	<b>31-3----- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)</b>
I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान		
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था		
III. छपाई और लेखन सामग्री		
IV. विज्ञापन और प्रचार		
v. (ए) पट्टे पर दी गई आस्ति के अलावा बैंक की आस्ति पर मूल्यहास		
(बी) पट्टे पर दी गई आस्ति पर मूल्यहास		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित)		
VII. कानून शुल्क		
IX. डाक, तार, टेलीफोन, आदि।		
X. मरम्मत और रखरखाव		
XI. बीमा		
XII. सन्द्धाना का परिशोधन, यदि कोई हो		
XIII. अन्य व्यय		
<b>जोड़</b>		

**टिप्पणियाँ:**

1. ऊपर निर्धारित प्रारूप प्राथमिक रूप से बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए है। गैर-बैंकिंग अनुषंगियों के मामले में यदि आय/व्यय या आस्तियों/देयताओं की कोई मद बैंक के समान नहीं है, तो इन मदों का अलग से खुलासा किया जाएगा।

2. समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त लाइन आइटम, शीर्ष और उप-शीर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और जब किसी विधिक, लेखा मानकों की आवश्यकता होती है या जब समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसी प्रस्तुति आवश्यक होती है। आईसीएआई द्वारा जारी सीएफएस लेखा मानकों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में, बैंकों पर लागू सीमा तक, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।